भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1143
दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण

†1143. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान स्वीकृत और निर्मित किए गए नए मेडिकल कॉलेजों, एम्स संस्थानों और विशेष अस्पतालों की संख्या कितनी है और देश में इन संस्थानों का राज्यवार वितरण क्या है;
(ख) आंध्र प्रदेश में स्थापित किए गए नए मेडिकल कॉलेजों और सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों की संख्या कितनी है और
एमबीबीएस, स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के लिए उनकी प्रवेश क्षमता कितनी है;
(ग) नव स्थापित और मौजूदा चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों, चिकित्सा संकाय और स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है और साथ ही जन स्वास्थ्य सेवा में प्रतिभाओं को बनाए रखने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं;
(घ) क्या सरकार ने विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आईसीयू, डायर नोस्टिक सेंटर और ट्रामा केयर यूनिट जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना की उपलब्धता का कोई आकलन किया है; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से सम्बद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को प्रशासित करता है, जिसमें अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि साझा करण करने की व्यवस्था पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में है। इस योजना के तहत, आंध्र प्रदेश में तीन (03) मेडिकल कॉलेजों (पिडुगुराल्ला, पडेरु और मछलीपट्टनम) सहित तीन चरणों में 157 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। देश में स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों का चरणवार विवरण अनुलग्नक-I में है।

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2023 से कुल छह नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए

गए हैं और इन मेडिकल कॉलेजों का विवरण निम्नानुसार है:

शैक्षणिक वर्ष प्रवेश	**कॉलेज एवं पता**	**प्रवेश**
2023-24	जीएमसी, विजयनगरम	150
	जीएमसी, राजमहेंद्रवरम	150
	डॉ. येल्लाप्रगदा सुब्बा राव जीएमसी, एलुरु	150
	*श्री पिंगली वेंकैया जीएमसी, मछलीपट्टनम	150
	जीएमसी, नांदयाल	150
2024-25	जीएमसी, पाडेरू	50
कुल		800

*ये मेडिकल कॉलेज'सीएसएस' के अंतर्गत मौजूदा ज़िला/रेफ़रल अस्पतालों से सम्बद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु स्थापित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत, देश में बाईस (22) एम्स स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में एक एम्स भी शामिल है। स्वीकृत एम्स का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-II में संलग्न है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के "सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन" घटक के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश में तिरुपति, विजयवाड़ा और अनंतपुर स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल तीन (03) परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(ग): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है और मानव संसाधन के विस्तार सहित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का है। हालाँकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने समग्र संसाधन सीमा के भीतर प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के आधार पर उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है।

- इसके अलावा, एनएचएम के तहत, डॉक्टरों को जन स्वास्थ्य सेवा में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते हैं:
- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा देने और अपने आवासीय क्वार्टरों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता।

- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सिजेरियन सेक्शन करने के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञों / प्रशिक्षित आपातकालीन प्रसूति देखभाल (ईएमओसी), बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट / लाइफ सेविंग एनेस्थीसिया स्किल (एलएसएएस) प्रशिक्षित डॉक्टरों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।
- डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर प्रसव पूर्व जांच और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए सहायक नर्स और मिडवाइफ के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलापों के संचालन के लिए प्रोत्साहन।
- राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए बातचीत योग्य वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है, जिसमें "यू कार्ट वी पे" जैसी कार्यनितियों में स्वायत्ता भी शामिल है।
- एनएचएम के तहत दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिमान्य प्रवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं।
- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत डॉक्टरों के बहु-कौशल विकास को समर्थन दिया जाता है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए एनएचएम के तहत मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एक अन्य प्रमुख कार्यनीति है।

(घ) और (ङ): राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे की उपलब्धता पर एक आकलन किया गया था और यह पाया गया है कि सभी मेडिकल कॉलेजों में आईसीयू और नैदानिक सेवाएं उपलब्ध हैं, पीएम एबीएचआईएम के तहत सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर और एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं (आईपीएचएल) स्थापित की जा रही हैं, कुल चौदह (14) ट्रॉमा केयर सेंटर उपलब्ध हैं जो सीएसएस के तहत स्थापित हैं, आंध्र प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में एकीकृत तरीके से ट्रॉमा केयर सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

*****

दिनांक 25.07.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1143 के उत्तर के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक- I

'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत अनुमोदित 157 मेडिकल कॉलेजों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कॉलेजों की संख्या	जिलें
चरण-I (58)			
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	पोर्ट ब्लेयर
2	अरुणाचल प्रदेश	1	नाहरलगुन
3	असम	4	धुबरी , नागांव , उत्तरी लखीमपुर , दीफू
4	बिहार	3	पूर्णिया , सारण (छपरा), समस्तीपुर
5	छत्तीसगढ	2	राजनांदगांव , सरगुजा
6	हिमाचल प्रदेश	3	चम्बा , हमीरपुर , नाहन (सिरमौर)
7	हरयाणा	1	भिवानी
8	झारखंड	3	दुमका , हज़ारीबाग़ , पलामू (डाल्टनगंज)
9	जम्मू और कश्मीर	5	अनंतनाग , बारामूला , राजौरी , डोडा , कठुआ
10	मध्य प्रदेश	7	दतिया , खंडवा , रतलाम , शहडोल , विदिशा , छिंदवाड़ा , शिवपुरी
11	महाराष्ट्र	1	गोंदिया
12	मेघालय	1	पश्चिम गारो हिल्स (तुरा)
13	मिजोरम	1	फ़ॉकवन
14	नागालैंड	1	नागा अस्पताल (कोहिमा)
15	ओडिशा	5	बालासोर , बारीपदा (मयूरभंज), बोलांगीर , कोरापुट , पुरी
16	पंजाब	1	सास नगर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कॉलेजों की संख्या	जिलें
17	राजस्थान	7	बाड़मेर , भरतपुर , भीलवाड़ा , चूरू , डूंगरपुर , पाली , सीकर
18	उत्तर प्रदेश	5	बस्ती , फैजाबाद , फिरोजाबाद, शाहजहाँपुर , बहराईच
19	उत्तराखंड	1	अल्मोड़ा
20	पश्चिम बंगाल	5	बीरभूम (रामपुर हाट), कूच बिहार, डायमंड हार्बर , पुरुलिया , रायगंज (उत्तर दिनाजपुर)
चरण-II (24)			
1	बिहार	5	सीतामढी , झंझारपुर , सीवान , बक्सर , जमुई
2	झारखंड	2	कोडरमा , चाईबासा (सिंहभूम)
3	मध्य प्रदेश	1	सतना
4	ओडिशा	1	जाजपुर
5	राजस्थान	1	धौलपुर
6	उत्तर प्रदेश	8	एटा , हरदोई , प्रतापगढ़ , फतेहपुर , सिद्धार्थनगर (डोमरियागंज), देवरिया , गाजीपुर , मिर्जापुर
7	पश्चिम बंगाल	5	बारासात , उलूबेरिया , आरामबाग , झारग्राम , तमलुक
8	सिक्किम	1	गंगटोक
चरण-III (75)			
1	आंध्र प्रदेश	3	पिडुगुरल्ला , पाडेरु , मछलीपट्टनम
2	असम	1	कोकराझार
3	छत्तीसगढ़	3	कोरबा , महासमुंद , कांकेर
4	गुजरात	5	नर्मदा, नवसारी , पंचमहल , पोरबंदर , मोरबी
5	जम्मू और कश्मीर	2	उधमपुर , हंदवाड़ा (जिला कुपवाड़ा)
6	कर्नाटक	4	चिक्कमगलुरु , हावेरी , यादगिरि , चिक्कबल्लापुरा
7	लद्दाख	1	लेह
8	मध्य प्रदेश	6	राजगढ़ , मंडला , नीमच , मंदसौर , श्योपुर , सिंगरौली
9	महाराष्ट्र	1	नंदुरबार
10	मणिपुर	1	छुरछंदपुर
11	नगालैंड	1	सोमवार
12	ओडिशा	1	कालाहांडी
13	पंजाब	2	कपूरथला , होशियारपुर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कॉलेजों की संख्या	जिलें
14	राजस्थान	15	अलवर , बारां , बांसवाड़ा , चित्तौड़गढ़ , जैसलमेर , करौली , नागौर , श्री गंगानगर , सिरोही , बूंदी , सवाईमाधोपुर , टोंक , हनुमानगढ़ , झुंझुनू , दौसा
15	उत्तराखंड	3	रुद्रपुर (जिला उधम सिंह नगर), पिथौरागढ , हरिद्वार
16	उत्तर प्रदेश	14	बिजनौर , कुशीनगर , सुल्तानपुर , गोंडा , ललितपुर , लखीमपुरखीरी , चंदौली , बुलंदशहर , सोनभद्र , पीलीभीत , औरैया , कानपुर देहात , कौशांबी , अमेठी
17	तमिलनाडु	11	तिरुप्पुर , नीलगिरी , रामनाथपुरम , नमक्कल , डिंडीगुल , विरुधुनगर , कृष्णागिरि , तिरुवल्लूर , नागपट्टिनम , अरियालुर , कल्लाकुरिची
18	पश्चिम बंगाल	1	जलपाईगुड़ी

अनुलग्नक- II

पीएमएसएसवाई के तहत स्वीकृत 22 नए एम्स की स्थापना का राज्यवार विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एम्स का स्थान	स्थिति
1	आंध्र प्रदेश	एम्स मंगलगिरी	कार्यशील
2	असम	एम्स गुवाहाटी	कार्यात्मक
3	बिहार	एम्स दरभंगा	निवेश-पूर्व कार्य प्रगति पर है
4		एम्स पटना	कार्यात्मक
5	छत्तीसगढ	एम्स रायपुर	कार्यात्मक
6	गुजरात	एम्स राजकोट	कार्यात्मक
7	हरियाणा	एम्स माजरा (रेवाड़ी)	निर्माणाधीन
8	हिमाचल प्रदेश	एम्स बिलासपुर	कार्यात्मक
9	जम्मू और कश्मीर	एम्स विजयपुर , जम्मू	कार्यात्मक
10		एम्स अवंतीपोरा , कश्मीर	निर्माणाधीन
11	झारखंड	एम्स देवघर	कार्यात्मक
12	मध्य प्रदेश	एम्स भोपाल	कार्यात्मक
13	महाराष्ट्र	एम्स नागपुर	कार्यात्मक
14	ओडिशा	एम्स भुवनेश्वर	कार्यात्मक
15	पंजाब	एम्स बठिंडा	कार्यात्मक
16	राजस्थान	एम्स जोधपुर	कार्यात्मक
17	तमिलनाडु	एम्स मदुरै	निर्माणाधीन
18	तेलंगाना	एम्स बीबीनगर	कार्यात्मक
19	उत्तर प्रदेश	एम्स रायबरेली	कार्यात्मक
20		एम्स गोरखपुर	कार्यात्मक
21	उत्तराखंड	एम्स ऋषिकेश	कार्यात्मक
22	पश्चिम बंगाल	एम्स, कल्याणी	कार्यात्मक

*****